तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2372/2006/चुरू सरकार बनाम गुलाम हुसैन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–

श्री रामसुख चौधरी, उपराजकीय अभिभाषक सरकार।
श्री सी.पी.पाराशर, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 05–09–2019

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर चुरू ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 18–03–2006 के द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सुजानगढ ने अधीनस्थ न्यायालय में एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी पैमाईश मौजा बीदासर सम्वत 2002 के खाता संख्या 596 में खसरा संख्या 449 रकबा 26 बीघा 1 बिस्सा, खसरा संख्या 1173 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 1203 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में नसीर, आमीन पिसरान अहमद कौम मुसलमान व्यापारी, साकिन देह बहिस्सा बराबर अंकित है, जो सम्वत 2010 तक बदस्तूर रहा है। सम्वत 2011 की जमाबंदी के खाता संख्या 852 में आमीर के स्थान पर अजीमा का नाम दर्ज है। मिसल बंदोबस्त सम्वत 2028 से सम्वत 2047 में खाता संख्या 443 में नसीरा, अजीमा पिसरान अहमद खां व्यापारी जाति मुसलमान साकिन देह, खसरा संख्या 1679 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1700 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 1679/1797 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा अंकित है। कालान्तर में नामान्तरकरण संख्या 135 के द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2372/2006/चुरू सरकार बनाम गुलाम हुसैन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नसीरा पिसरान अहमद की फौतगी पर तत्कालीन पटवारी द्वारा दिनांक 19-02-1978 विरासतन स्वीकार किया गया है। नसीरा लाऔलाद अंकित किया जकर कॉलम संख्या 11 में रजाक, गुलाम हुसैन, शौकत अली पिसरान अल्लादीन बहिस्सा बराबर एक तिहाई, अब्दुला वल्द भादा एक तिहाई, फकीर मोहम्मद वल्द नानू एक तिहाई दर हिस्सा 1/2, सकिना पुत्री इमामबक्स 1/2 हिस्सा कौम मुसलमान साकिन देह अंकित है। जिसकी जांच करवाये जाने पर तहसीलदार सुजानगढ द्वारा दिनांक 16-06-1978 को स्वीकृति जारी की गई। नामान्तरकरण संख्या 266 द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1679/1797 में से तत्कालीन पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 23-10-1979 के अनुसार फकीर मोहम्मद, अब्दुला, रजाक ने अपने हिस्से की भूमि खसरा संख्या 1679/1797 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को नथमल, नेमाराम पिसरान उमाराम जाट जाखड को बेचान किया जाना अंकित है। बाकी मांडा गुलाम हुसैन, शौकत अली पिसरान अलादीन 27 हिस्सा बहिस्सा बराबर व अब्दुला वल्द भादा 27 हिस्सा, फकीर मोहम्मद वलद नानू 27 हिस्सा, सकीना पुत्री इमामबक्स 122 हिस्सा नामान्तरकरण में दर्ज है। जिसको तत्कालीन तहसीलदार सुजानगढ द्वारा दिनांक 07-01-1980 को स्वीकार किया है। इस प्रकार खसरा संख्या 1679/1797 में अलग खातेदारों के नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 28-01-1993 को स्वीकार किया गया, जो कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतनगढ के निर्णय दिनांक 14-08-1992 के आदेशानुसार खसरा संख्या 1700 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी मुरली पत्नि पुनमचंद चौरडिया के नाम स्वीकार किया गया। जमाबंदी सम्वत 2039 के खाता संख्या 100 खसरा संख्या 1679 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 1700	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2372/2006/चुरू सरकार बनाम गुलाम हुसैन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी गुलाम हुसैन, शौकतअली पिसरान अल्लादीन 27 हिस्सा, अब्दुला वल्द भादा 27 हिस्सा, मोहम्मद पुत्र नानू 27, सकीना पुत्री इमामबक्स 122 हिस्सा कौम व्यापारी साकिन देह खातेदार नम्बर 3 के स्थान पर पूर्व जमाबंदी में फकीर मोहम्मद पुत्र नानू अंकित है। इस जमाबंदी में सिर्फ मोहम्मद पुत्र नानू का परिवर्तन किस आधार पर किया गया, यह कहीं अंकित नहीं है। उक्त खसरा संख्या 1679 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में शिकायत होने पर तत्कालीन तहसीलदार सुजानगढ द्वारा मौके की जांच की गई। मौके के अनुसार खसरा संख्या 1679 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के सहखातेदार सकीना भारत पाक विभाजन से पूर्व पाकिस्तान चली गई। वह वहीं आबाद होकर पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली। इस संबंध में तहसीलदार सुजानगढ ने गवाह जैतून बेवा अब्दुल रजाक के बयान लिए, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह 1988 में पाकिस्तान चली गई, उस समय सकीना की पाकिस्तान स्थित मकान, फलेरी, प्लेटाबाद मौहल्ले में एक माह तक साथ रही। बयान की पुष्टि में गवाह ने पाकिस्तान जाने वाले पासपोर्ट की छाया प्रति प्रस्तुत की है। दूसरे गवाह शमशुदीन वल्द करीम बक्स, मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल रजाक, मोहम्मद इस्माईल पुत्र सुभान ने भी अपने बयानों में सकिना को भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान चली गई व वही उसका इन्तकाल हुआ। गवाह शमशुदीन का शपथ पत्र व पासपोर्ट की छाया प्रति बयानों की पुष्टि में प्रस्तुत की है। तहसीलदार सुजानगढ ने नामान्तरकरण संख्या 135 दिनांक 16-06-1978 के आधार पर खसरा संख्या 1679 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा की खातेदार सकिना पाकिस्तान चले जाने के कारण उक्त भूमि को निष्क्रान्त/राजगामी घोषित करने बाबत निवेदन किया। अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2372/2006/चुरू सरकार बनाम गुलाम हुसैन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय प्रस्तुत प्रकरण को स्वीकार कर विवादित आराजी को निष्क्रान्त/राजगामी घोषित करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। हमने रेफरेंस के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता का कथन है कि बंदोबस्त विभाग की जमाबंदी खतौनी सम्वत 2028–2047 में खसरा संख्या 1679, 1700 एवं 1679/1797 कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा ग्राम बीदासर में खातेदार नसीरा, अजीमा पिसरान अहमद खां जाति व्यापारी साकिन देह खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 165 के अनुसार अजीमा के लाऔलाद फौत होने के कारण विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। जिसके कालम संख्या 11 में रजाक, गुलाम हुसैन, शौकतअली पिसरान अल्लादीन बहिस्सा बराबर एक तिहाई, अब्दुल वलद भादा एक तिहाई, फकीर मोहम्मद वल्द नानू एक तिहाई दर हिस्सा 1/2, सकीना पुत्री इमामबक्स 1/2 हिस्सा कौम मुसलमान व्यापारी साकिन देह खातेदार अंकित है। नकल जमाबंदी ग्राम बिदासर सम्वत 2031 खसरा संख्या 1679, 1700 व 1679/1797 कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा में सकीना पुत्री इमामबक्स कौम व्यापारी साकिन देह 1/2 खातेदार साबित है। तहसीलदार सुजानगढ की जांच रिपोर्ट दिनांक 07–07–1999 के द्वारा गवाहान जैतून बेवा अब्दुल, मोहम्मद ईस्माईल, मोहम्मद अली, नानू के बयान व जैतून शमशुदीन, मोहम्मद अली आदि के शपथ पत्र के अनुसार सकीना पुत्री इमामबक्स जाति व्यापारी साकिन बीदासर भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान चली गई। इसलिए उक्त खातेदारी की भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी राज घोषित किए जाने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2372/2006/चुरू सरकार बनाम गुलाम हुसैन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि अप्रार्थीगण के नाम जो राजस्व रेकार्ड में अंकित है, वह सही है। विवादित भूमि बाबत की गयी रेफरेंस कार्यवाही दोषपूर्ण है। क्योंकि भारत विभाजन के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, उसकी सम्पत्ति चिन्हित की गई थी तथा कस्टोडियन विीाग द्वारा इस प्रकार की सम्पत्ति की सूची बनाई गई, जो कि रेफरेंस के साथ संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त आलोच्य रेफरेंस में सकीना के पाकिस्तान जाने की तारीख, वर्ष व महीना अंकित नहीं है। आगे बताया कि वर्तमान में कस्टोडियन विभाग समाप्त हो गया है तथा कस्टोडियन विभाग संबंधी विवाद के निस्तारण की न तो जिला कलक्टर एवं न ही राजस्व विभाग को अधिकारिता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त आलोच्य रेफरेंस की कार्यवाही में अप्रार्थीगण को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आगे बताया कि कस्टोडियन की कार्यवाही व राजगामी कार्यवाही दोनों की अलग–अलग विषयवस्तु है। इसके साथ ही अलग–अलग नियम भी बने हुए है। उनका तर्क है कि राजगामी सम्पत्ति के संबंध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत कानूनन रेफरेंस पेश नहीं किया जा सकता। इस हेतु एसक्रीऐट एक्ट के तहत मुकदमा जिला कलक्टर द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। इस कारण मामले में धारा 82 भू राजस्व के प्रावधान लागू नहीं होते है। उनका आगे तर्क है कि हस्तगत मामले में सार्वजनिक हित का कोई प्रकरण नहीं है, बल्कि विवादित आराजियात बाबत राजनैतिक द्वेषता से रेफरेंस की कार्यवाही अमल में लाई गई है। उनका आगे तर्क है कि विवादित आराजियात पर अप्रार्थीगण का लम्बे समय कब्जाकाश्त होने के कारण तथा रेकार्ड में उनका नाम दर्ज होने की स्थिति में रेफरेंस की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2372/2006/चुरू सरकार बनाम गुलाम हुसैन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्त में उन्होंने विवादित आराजियात बाबत की गयी रेफरेंस कार्यवाही का विरोध करते हुए इसे अपास्त किए जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर चुरू ने खसरा संख्या 1679 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि को राजगामी सम्पत्ति घोषित करने हेतु हस्तगत रेफरेंस मण्डल के समक्ष पेश किया है। विधिक प्रावधान यह है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, उसकी सम्पत्ति चिन्हित की गई थी तथा कस्टोडियन विभाग द्वारा इस प्रकार की सम्पत्ति बाबत सूची बनाई गई थी, उक्त सूची रेफरेंस पत्रावली में संलग्न नहीं है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतनगढ के निर्णय दिनांक 14–08–1992 के आदेशानुसार खसरा संख्या 1700 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 28–01–1993 के द्वारा मुरली पत्नि पुनमचंद चौरडिया के नाम स्वीकार की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23–10–1979 के अनुसार फकीर मोहम्मद, अब्दुला, रजाक ने अपने हिस्से की भूमि खसरा संख्या 1679/1797 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को नथमल, नेमाराम पिसरान उमाराम जाट को बेचान किया जाना पाया जाता है। शकीना का दिनांक 26–1–1998 को फौत हो गया तथा उसके हिस्से की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान हो जाने के बाद उसके धारण में 1 बीघा 3 बिस्वा शेष रहती है। जबकि उसके हिस्से में 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि थी। अतः 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि कम होने की स्थिति में यह जांच का विषय है। जबकि खसरा संख्या 1679 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में 1/2 हिस्से की खातेदार सकिना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2372/2006/चुरू सरकार बनाम गुलाम हुसैन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाकिस्तान चले जाने के कारण उक्त भूमि को निष्क्रान्त/राजगामी घोषित करने बाबत रेफरेंस पेश किया है, जबकि मृतका शकीना के हिस्से की भूमि ही वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उक्त तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य रेफरेंस अपूर्ण है तथा अपूर्ण रेफरेंस बाबत हमारे द्वारा किसी प्रकार का अभिमत व्यक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत रेफरेंस को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत रेफरेंस आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर चुरू को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ऊपर किए गए सम्प्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए विवादित आराजियात के क्रम में समस्त पक्षकार की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए पुनः विधिवत रेफरेंस की कार्यवाही सम्पादित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2372/2006/चुरू सरकार बनाम गुलाम हुसैन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए